भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1340
दिनांक 11 फरवरी, 2026 / 22 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महिला कैदियों के लिए सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ

1340 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गृह मामलों पर डीआरएससी की 251वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर गौर किया है, जिसमें, अलग शौचालय, स्नानघरों और महिला डॉक्टरों की उपलब्धता सहित, महिला कैदियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की सिफारिश की गई है;

(ख) पुरुषों के कारागृहों की अपेक्षा महिलाओं के कारागृहों और सामान्य कारागृहों के महिला वार्डों में, शौचालय, स्नानघरों और स्वास्थ्य देखरेख कक्ष सहित, ऐसी सुविधाओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) महिलाओं की जेलों में तैनात महिला चिकित्सक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों और अन्य प्रशिक्षित कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या और रिक्तियां कितनी हैं; और

(घ) क्या सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिला कैदियों के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी सुविधाओं और शिकायत निवारण तंत्रों के उन्नयन के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): गृह मंत्रालय ने गृह मामलों से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति की 251वीं रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है, जिसमें महिला कैदियों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, अलग शौचालय, स्नानघरों तथा महिला चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी सिफारिशें की गई हैं।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए जेल संबंधी आँकड़ों को संकलित करता है तथा उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित आँकड़े वर्ष 2023 के हैं। इस संबंध में विशिष्ट जानकारी केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

(ग): 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुलग्नक में दी गई है। महिला जेल कर्मचारियों की स्वीकृत पद संख्या तथा रिक्तियों के संबंध में विशिष्ट जानकारी पृथक रूप से संकलित नहीं की जाती है।

(घ): स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं आदि से संबंधित मार्गदर्शन सहित प्रभावी जेल प्रशासन हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दिशानिर्देशों का साझा किया जाना एक निरंतर एवं सतत प्रक्रिया है। गृह मंत्रालय द्वारा महिला कैदियों के कल्याण सहित जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से एडवाइजरी जारी की जाती हैं। इस उद्देश्य से मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 तैयार कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें "महिला कैदी" विषय पर एक पृथक अध्याय सम्मिलित है। इस अध्याय में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं, शिकायत निवारण तंत्र तथा अन्य संबंधित कल्याणकारी उपायों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा गृह मामलों से संबंधित विभागीय संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के अनुपालन हेतु साझा की गई है। हालाँकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत "जेल/जेलों में निरुद्ध व्यक्ति" राज्य विषय है; अतः बेहतर जेल प्रशासन के लिए प्रदान किए गए मार्गदर्शन का उपयोग करना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1340, दिनांक 11.02.2026

अनुलग्नक

31 दिसंबर, 2023 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार महिला जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिकारी			जेल कैडर कर्मचारी			सुधारात्मक कर्मचारी		
		डीजी/एडीजी /आईजी/एआईजी/ डीआईजी/सुप.	डीएसपी/डि. जेलर/ असि. जेलर/ असि. सुपरिन्टेन्डेन्ट	अन्य अधिकारी	हेड वार्डर / हेड मैट्रन	वार्डर और मैट्रन	अन्य जेल कैडर कर्मचारी	प्रोबेशन अधिकारी/कल्याण अधिकारी	मनोवैज्ञानिक /मनो चिकित्सक	समाज सेवक और अन्य
1	आंध्र प्रदेश	0	11	1	18	52	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	1	4	15	0	0	0	0
3	असम	1	6	0	7	81	6	0	0	4
4	बिहार	4	38	0	23	749	33	45	0	18
5	छत्तीसगढ़	0	17	0	14	103	15	1	0	10
6	गोवा	0	0	0	0	2	0	0	0	0
7	गुजरात	1	2	0	35	81	0	0	0	0
8	हरियाणा	1	10	1	50	67	17	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	10	23	0	0	0	0
10	झारखंड	1	1	1	0	73	0	1	0	0
11	कर्नाटक	4	61	0	85	760	0	0	0	0
12	केरल	0	45	0	0	65	0	11	0	0
13	मध्य प्रदेश	6	25	0	0	901	0	2	1	13
14	महाराष्ट्र	3	52	0	68	544	7	0	0	6
15	मणिपुर	0	0	0	0	13	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	17	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	2	0	2	55	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	2	0	5	66	0	0	0	1
19	ओडिशा	4	30	9	21	227	0	5	0	7
20	पंजाब	0	11	0	28	109	26	0	0	0
21	राजस्थान	2	19	0	36	531	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	1	0	2	13	1	0	0	0
23	तमिलनाडु	6	42	40	82	223	0	21	8	1
24	तेलंगाना	1	7	2	8	27	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	1	0	1	12	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	5	104	0	84	566	68	0	0	0
27	उत्तराखंड	1	0	0	7	3	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	1	13	1	0	244	33	7	2	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	2	3	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	0	1	5	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32	दिल्ली	3	35	21	53	113	32	1	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	1	30	0	1	0	1
34	लद्दाख	0	0	0	0	1	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	1	6	0	0	0	0
	कुल	**47**	**538**	**78**	**648**	**5781**	**238**	**95**	**11**	**61**

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1340, दिनांक 11.02.2026

अनुलग्नक

31 दिसंबर, 2023 तक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार महिला जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चिकित्सा कर्मचारी				मंत्रालयी कर्मचारी		अन्य	कुल
		रेजिडेंटचिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी	फार्मासिस्ट	लैब टेक्नीशियन/लैब अटेंडेंट	अन्य	अधिकारी	गैर-राजपत्रित कर्मचारी		
1	आंध्र प्रदेश	7	4	0	9	4	57	14	177
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	4	0	4	3	33
3	असम	0	0	1	6	1	4	1	118
4	बिहार	16	2	0	5	5	22	8	968
5	छत्तीसगढ़	1	9	1	0	1	7	0	179
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	2
7	गुजरात	2	0	0	6	2	36	5	170
8	हरियाणा	1	0	0	3	0	16	0	166
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	7	3	47
10	झारखंड	0	0	0	10	0	3	2	92
11	कर्नाटक	0	0	0	0	3	109	0	1022
12	केरल	3	5	2	2	6	56	2	197
13	मध्य प्रदेश	1	14	0	22	0	22	29	1036
14	महाराष्ट्र	9	4	1	0	0	82	7	783
15	मणिपुर	4	2	0	6	0	9	19	53
16	मेघालय	0	1	0	3	0	8	6	35
17	मिजोरम	0	1	0	5	0	1	1	67
18	नागालैंड	0	1	0	0	3	18	34	130
19	ओडिशा	6	3	0	0	1	8	2	323
20	पंजाब	1	1	0	1	3	39	0	219
21	राजस्थान	2	0	1	14	0	17	14	636
22	सिक्किम	1	0	0	3	0	3	0	24
23	तमिलनाडु	14	6	0	21	2	189	37	692
24	तेलंगाना	2	1	0	1	0	19	70	138
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	14
26	उत्तर प्रदेश	3	0	0	3	3	72	68	976
27	उत्तराखंड	0	1	0	0	0	3	5	20
28	पश्चिम बंगाल	5	2	0	0	0	9	31	348
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	2	0	4	3	15
30	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	1	0	9
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	1
32	दिल्ली	4	1	0	22	10	15	0	310
33	जम्मू और कश्मीर	2	1	1	4	0	1	0	43
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	1
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	7
	कुल	**86**	**60**	**7**	**152**	**44**	**841**	**364**	**9051**
